विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-03/18

मेसर्स श्याम श्री फुड्स, — आवेदक
51, आर.डी. उद्योग नगर, पालदा,
इन्दौर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री, दक्षिण शहर संभाग,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
छावनी, इंदौर (म.प्र.)

— अनावेदकगण

सहायक यंत्री, युनिवर्सिटी झोन,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
न्यु रानीबाग, कस्तुरबा ग्राम,
खण्डवा रोड, इन्दौर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 15.10.2019 को पारित)

01. मेसर्स श्याम श्री फुड्स, 51, आर0डी0 उद्योग नगर, पालदा, इन्दौर द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा जारी पत्र क्र0 238 दिनांक 07.03.2018 से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक 16.03.2018 सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया है ।

02. आवेदक मेसर्स श्याम श्री फुड्स, 51, आर0डी0 उद्योग नगर, पालदा, इन्दौर ने अपने लिखित अपीलीय अभ्यावेदन दिनांक –17.03.2018 (आवेदक द्वारा त्रुटिवश अपने अभ्यावेदन में दिनांक 17.03.2017 दर्ज किया गया है) मय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर के पत्र क्रमांक 238 दिनांक 07.03.2018 एवं अन्य 6 नग दस्तावेजों के साथ विद्युत लोकपाल

कार्यालय में प्रस्तुत किया है । जो विद्युत लोकपाल कार्यालय में दिनांक 16.03.2018 को प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–03/2018 पर दर्ज किया गया ।

03. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपीलीय अभ्यावेदन के अनुसार प्रकरण के विवरण निम्नानुसार है :–

सहायक यंत्री, युनिवर्सिटी झोन, इन्दौर शहर द्वारा मेसर्स श्याम श्री फुड्स औद्योगिक संयोग क्रमांक 3424522/75SU/23/8050214000, Contract Demand 19 kw, Demand Based tariff, 51 R.D. Uhog-Nagar, Indore की जांच कर पंचनामा क्रमांक 3749 x 09 Dated 04/01/2018 बनाया गया है । पंचनामें में किए गए लेख के अनुसार परिसर के औद्योगिक संयोग डिमाण्ड बेस्ड टैरिफ पर होकर स्वीकृत संविदा भार 19 कि0वा0 के विरूद्ध संयोजित भार 25 कि0वा0 पाया गया है । अतः अनंतिम निर्धारण आदेश क्रमांक निरंक दिनांक निरंक रू0 47880/– जारी किया है ।

प्रकरण में नियम विरूद्ध जारी निर्धारण आदेश के निरस्तीकरण हेतु फोरम इन्दौर में आवेदन प्रस्तुत किया गया है । फोरम द्वारा पत्र क्रमांक 238 दिनांक 07.03.2018 के तहत यह लेख करते हुए कि प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 126 में दर्ज किया है । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार परिवाद को फोरम द्वारा सर्वसम्मति से सुनवाई योग्य नहीं पाया गया है, प्रकरण में मूलतः वापस किया गया है ।

फोरम के उक्त पत्र में किए गए लेख एवं निष्कर्ष से उपभोक्ता असहमत है एवं न्याय नहीं मिलने के कारण माननीय विद्युत लोकपाल म0प्र0 नियामक आयोग भोपाल में यह अपील सादर प्रस्तुत है ।

04. प्रकरण की विषय वस्तु निम्नानुसार है :–

फोरम का यह लेख कि विपक्ष के पत्र क्रमांक सहा. यंत्री/युझो/16–17/दिनांक 18/01/2018 के अंतर्गत प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 126 में दर्ज किया है । लेख पूर्णतः नियम विरूद्ध होकर गलत है ।

विषय पर विधिक स्थिति को कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य) जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र EZ/Commercial/PP&R/770 Date 28.05.2016 द्वारा स्पष्ट किया है । परिपत्र की प्रति संलग्न है । परिपत्र की कण्डिका 3 की अंतिम लाईनों का अवतरण निम्नानुसार है ।

"Whenever, A violation of agreement or tariff is observed and the regulations or tariff order specifies the procedure to deal with Such violation, it should be delt accordingly instead of framing case under 126.

नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ वर्ष 2017 General Terms and Conditions of Low Tention Tariff के पैरा 6 (a) additional charges for Excess Connected Load or Excess Demand पाए जाने पर बिलिंग की विधा दी गई है । इसके अनुसार डिमाण्ड बेस्ड टैरिफ उपभोक्ता परिसर में संयोजित भार अगर संविदा भार से अधिक पाया जाता है तो न तो इनर्जी चार्ज पेटे में न ही लोड चार्ज पेटे में पेनाल्टी देय होगी । पेनाल्टी तब ही देय होगी जब एम0डी0 संविदा भार से अधिक दर्ज हो । संयोजित भार अगर निम्न दाब संयोग की भार सीमा अर्थात 150 अश्वशक्ति/112 कि0वा0 तक है तो पेनाल्टी देय नहीं है । बल्कि उपभोक्ता का एक समय के लिए सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज जमा करने का नोटिस दिया जाना है । उपरोक्तानुसार परिपत्र में अनाधिकृत भार वृद्धि के प्रकरणों पर विधिक प्रावधान विस्तार से स्पष्ट किया गया है ।

फोरम इन्दौर का प्रस्तुत आवेदन मय सहपत्रों के महोदय के अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है । महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण में नियामक आयोग द्वारा जारी टैरि्फ/जनरल कण्डिशन आफ एल0टी. टैरिफ एवं कार्यपालन निदेशक जबलपुर के उपरोक्त परिपत्र के परिपेक्ष्य चूंकि ऐसे प्रकरण धारा 126 के अंतर्गत नहीं है, में विचार कर जारी निर्धारण आदेश निरस्त करने का कष्ट करें ।

05. प्रकरण में दिनांक 04.04.2018 को सूचना–पत्र प्रेषित करते हुए आवेदक एवं अनावेदक कार्यपालन यंत्री, दक्षिण शहर संभाग, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., छावनी, इंदौर एवं सहायक यंत्री, युनिवर्सिटी झोन, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., न्यु रानीबाग, कस्तुरबा ग्राम, खण्डवा रोड, इन्दौर (म.प्र.) को प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 14.05.2018 को आयोजित की जाने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया । तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की सुनवाई दिनांक 26.04.2019 को नियत थी । चूंकि इस दिनांक को

समस्त लंबित प्रकरण की सुनवाई एक ही दिन नियत की गई थी जो कि व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं था, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई पुनः ही पुनर्निर्धारित (Re-schedule) की गई और प्रश्नाधीन प्रकरण में सुनवाई की दिनांक 26.04.2019 नियत की गई ।

06. प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 26.04.2019 की सुनवाई में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा अनावेदक की ओर से अनावेदक अधिवक्ता श्री सी.के. वलेजा उपस्थित हुए । आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 16.05.2019 को नियत की गई । दिनांक 16.05.2019 को आवेदक एवं अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथापित अनावेदक द्वारा डाक से पत्र क्रमांक 65 दिनांक 06.05.2019 प्रेषित किया जो इस कार्यालय में दिनांक 14.05.2019 को प्राप्त हुआ । इस पत्र में अनावेदक ने सूचित किया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में पूरक देयक की राशि उपभोक्ता के दस्तावेजों एवं विधि अनुसार विलोपित कर दी गई है तथा निवेदन किया कि प्रकरण निराकृत हो जाने के कारण समाप्त किया जाए । पत्र में यह भी सूचित है कि इस संबंध में आवेदक के प्रतिनिधि श्री जे.जी. ठोंबरे को भी आवश्यक सूचना दे दी गई है ।

इसके साथ ही आवेदक के प्रतिनिधि श्री जे.जी. ठोंबरे ने भी अपने ई–मेल दिनांक 13.05.19 से सचिव, मप्रविनिआ की मेल आई.डी. पर अनावेदक के उक्त पत्र की स्केन प्रति माननीय आयोग को मेल किया है, जिस पर उनकी निम्न हस्तलिखित टीप अंकित है ।

´The scanned copy being sent to Ombudsmen with request to close the case L00-3/18 Shamfood V/s M.P.P.K.V.V.C.Ltd. Indore

Authorised Signed Signatory

Authority already submitted "

07. उस मेल के साथ ही अनावेदक के पत्र क्रमांक 19–20 दिनांक 06.05.2019 के पत्र की Scanned प्रति भी प्राप्त हुई है, जिस पर आवेदक के प्रतिनिधि श्री जे.जी. ठोंबरे की निम्न हस्तलिखित टीप अंकित है ।

´The scanned copy being sent to Ombudsmen with request to close the case L00-3/18 Shamfood V/s M.P.P.K.V.V.C.Ltd. Indore

Authorised Signed Signatory

Authority already submitted "

08. आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण के निराकृत होने हेतु दी गई जानकारी एवं प्रकरण को समाप्त करने के निवेदन को स्वीकार करते हुए प्रकरण की बिना कोई समीक्षा किए यथास्थिति में प्रकरण को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया जाता है ।

09. उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल